न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 207/2018

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र हीराराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. सन्तोष पत्नी हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. आयुष पुत्र हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. माया पुत्री हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. मैना पुत्री हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: वादी**

वकील श्री राजेन्द्र कालीरावणा**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 26.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि गांव कणाऊ की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 359/111 के खसरा सं. 31 की 6.133 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न दावा है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य के है। प्रतिवादी सं. 1 हेतराम, वादी का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी के सगे भाई बहने है। उपर वर्णित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है, जो वादी के पिता हेतराम प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता हीराराम से तथा हीराराम को अपने पिता मेघा से विरासतन प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के नाम से परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि दादालाई एवं पैतृक कषि भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 हेतराम के साथ साथ उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का भी हक व अधिकार निहित है। वादी के दादा हीराराम की मृत्यु हो चुकी है।

सहायक कलक्टर
भादरा(हनु.)

वादी एवं प्रतिवादीगण ने गत वर्ष दीपावली के रोज उपर वर्णित कृषि भूमि का आपस में सहमति से वाहमी पारिवारिक राजीनामा कर लिया। उक्त कृषि भूमि में वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जो वाद भूमि बनता था, को तर्क कर शुन्य कर लिया है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण का ही संयुक्त रूप से कब्जा है।

वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सं. 1 हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है एवं बाद करवाने घोषणा जमाबंदी में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादभूमि में वादी ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 4 ने अपना जवाबदावा पेश किया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी कणाऊ के खाता संख्या 259 सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू–प्रबंध सैटलमेन्ट विभाग सम्वत 2020 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रति रोही कणाऊ भू प्रबंध विभाग सम्वत 2029–38 प्रदर्श 3, असल वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ दिनांक 01.08.2018 प्रदर्श 4, शपथ पत्र हेतराम प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने गांव कणाऊ की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 359/111 के खसरा सं. 31 की 6.133 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी कृष्ण कुमार 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 हेतराम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 सन्तोष 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 आयुष 1/4 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पति के जीवनकाल में पत्नी अपने हकों की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

घोषणा नही करवा सकती, इसलिए हस्तगत वाद में वादभूमि प्रतिवादिया सं. 2 संतोष पत्नी हेतराम के हक की घोषणा नही की जा सकती है।

चुंकि वादीूमि हिन्दु परिवार की दादालार्ठ पैत्रक सम्पति साबित है, वादभूमि में हेतराम के दो पुत्र व दो पुत्रिया का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इसलिए वादभूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 तथा 3 ता 5 का 1/5–1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने अपना 1/5–1/5 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग कर दिया, किन्तु जब प्रतिवादी सं. 2 के नाम वादभूमि में हको की घोषणा नही हो सकती तो प्रतिवादिया सं. 2 वादभूमि के खाता में सहखातेदार नही बन सकती, इसके बिना प्रतिवादिया सं. 4 व 5 द्वारा प्रतिवादिया सं. 2 के पक्ष में हक त्याग सम्भव नही है। चुंकि राजीनामा में प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने प्रतिवादिया सं. 2 के पक्ष में हक त्याग करना लिखा है व उस पर सभी की सहमति है, किन्तु वाद में प्रतिवादिया सं. 2 के पक्ष में हक त्याग सम्भव न होने के कारण उक्त 1/20–1/20 हिस्सा प्रतिवादिया सं. 4 व 5 के पक्ष में रखा जाना उचित है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर आंशिक डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 359/111 के खसरा सं. 31 की 6.133 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी कृष्ण कुमार 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 हेतराम 3/10 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 3 आयुष 3/10 हिस्सा, प्रतिवादिया सं. 4माया को 1/20 हिस्सा, प्रतिवादिया सं. 5 मैना को 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना अपना 3/20–3/20 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पक्ष में हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 4 व 5 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 1 हेतराम, प्रतिवादी सं. 3 आयुष, प्रतिवादिया सं. 4 व 5 माया, मैना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.9.18.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 207/2018

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र हीराराम जाति जागिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. सन्तोष पत्नी हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. आयुष पुत्र हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. माया पुत्री हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. मैना पुत्री हेतराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सन्दीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेन्द्र कालीरावणा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर आंशिक डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 359/111 के खसरा सं. 31 की 6.133 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता हेतराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी कृष्ण कुमार 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 हेतराम 3/10 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 3 आयुष 3/10 हिस्सा, प्रतिवादिया सं. 4माया को 1/20 हिस्सा, प्रतिवादिया सं. 5 मैना को 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना अपना 3/20–3/20 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पक्ष में हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 4 व 5 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 1 हेतराम, प्रतिवादी सं. 3 आयुष, प्रतिवादिया सं. 4 व 5 माया, मैना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..26.9.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़